पुलिस तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8वॉं तल, टावर–4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002 : e-mail: tshq@up.nic.in

पत्र संख्याः टीएससी–25 / 2021 दिनांकः मई 22 ,2024

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, अजनपीय शाखा पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश। (पी0ए0सी0 को छोड़कर)
2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त पुलिस अयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय : **भर्ती / चयन वर्ष 2021, 2022 व 2023 की रिक्तियों के सापेक्ष कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–'ए' से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड– 'बी' पद पर श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की कार्यवाही हेतु अद्यावधिक चरित्र पंजिका, 48 बिन्दु के निर्धारित नवीन बोर्ड प्रपत्र में त्रुटिरहित सूचना एवं स्वघोषणा पत्र तैयार कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

कृपया इस मुख्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 16–01–2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए से ग्रेड–बी के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु बोर्ड प्रपत्र तैयार किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02–01–2024 को सम्पादित प्रथम चरण की विभागीय लिखित परीक्षा के उपरान्त द्वितीय चरण में **''सेवाभिलेखों के मूल्यांकन''** हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–15(5) / 2022 दिनांक 11–01–2024 के साथ प्रेषित बोर्ड प्रपत्रों के प्रारूप की प्रतियॉं इस मुख्यालय के उक्त पत्र के साथ संलग्न कर पत्र सहित उसमें निहित निर्देशों के अनुरूप त्रुटि रहित तैयार रखने हेतु प्रेषित किया गया है, ताकि अल्प अवधि की सूचना पर विभागीय परीक्षा में चयनित सफल कर्मियों का बोर्ड प्रपत्र मय उनके सेवा अभिलेखों सहित प्राप्त हो सके।

उक्त सम्बन्ध में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 09–02–2024 द्वारा तैयार किये गये बोर्ड प्रपत्र की साफ्ट प्रति **(MS Excel) ई–मेल आई0डी0– UPPCCHCC@GMAIL.COM** पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु दिनांक 01–03–2024 व 19–04–2024 को अनुस्मारक पत्र निर्गत करने के पश्चात भी अभी तक मात्र 42 जनपदों व 03 इकाईयों (पीटीएस मेरठ व एपीटीसी सीतापुर, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ) द्वारा ही जनपद स्तर पर तैयार की गयी उक्त प्रोन्नति के बोर्ड प्रपत्र सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करायी

गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिसूचना मुख्यालय, जनपद सिद्धार्थनगर व जनपद इटावा द्वारा हिन्दी फान्ट में सूचना प्रेषित की गयी है, जबकि इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र के साथ संलग्न उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के प्रारूप के बिन्दु संख्या–2 में एवं संलग्न–4 प्रमाण–पत्र पर स्पष्ट अंकित है कि सूचना **Times New Roman, Font Size–14** में ही तैयार की जाये।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्याः 4/2024/417/सैंतालिस–का–1–2024–13(2)/2024 दिनांक 10–05–2024 द्वारा आदर्श आचार संहिता–2024 में पदोन्नति सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं जिसके कम में उक्त प्रोन्नति से सम्बन्धित प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का परिणाम निकट भविष्य में घोषित होने की संभावना है। द्वितीय चरण में संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के **''सेवाभिलेखों का मूल्यांकन''** किये जाने हेतु अद्यावधिक सेवाभिलेखों/चरित्र पंजिकाओं/बोर्ड प्रपत्रों/अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये स्व0घोषित प्रमाणपत्रों को उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को अत्यधिक अल्प अवधि में उपलब्ध कराया जाना होगा।

अतः कृपया अनुरोध है कि इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 16–01–2024 एवं उसके साथ संलग्न उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र दिनांक 11–01–2024 में निहित निर्देशों के अनुरूप बोर्ड प्रपत्र त्रुटिरहित तैयार कराकर अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा उसका परीक्षण करा लिया जाये, ताकि जैसे ही प्रथम चरण की परीक्षा का परिणाम घोषित होता है, इस मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में त्रुटिरहित बोर्ड प्रपत्र, अभ्यर्थियों द्वारा स्वघोषित प्रमाणपत्र, सेवा अभिलेख/चरित्र पंजिका मय जनपद/इकाई द्वारा **संलग्नक–4** पर प्रमाणपत्र पेन ड्राइव में साफ्ट प्रति की सूचना सहित इस मुख्यालय में सम्बन्धित लिपिक के माध्यम से उपलब्ध करायी जा सके। इस सूचना को मुख्यालय स्तर पर संकलित करते हुए उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना है। बोर्ड प्रपत्रों व प्रमाण–पत्र की प्रति पूर्व में सम संख्यक पत्र दिनांक 16–01–2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अभ्यर्थियों द्वारा स्वघोषित प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है। **प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।**

संलग्नक यथोपरि।

(नवीन अरोरा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाऍ मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ

स्वघोषणापत्र

मैं...(नाम/पदनाम/पीएनओ)..........................

पुत्र...निवासी..

थाना............................ जनपद.. वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)..नियुक्त हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि–

(क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील)" नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगाः–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण..............................

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई .... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक.................................को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0.............................. धारा............................... थाना............................. जनपद....................................... में लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी .... द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .... स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित
जनपद इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोटः– स्वघोषणा पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।